

हरियाणा सरकार

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 अक्तूबर, 2016

संख्या का0आ035/प0अ017/1887/घा0/2016.— रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908(1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16), की धारा 5 के साथ पठित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887(1887 का पंजाब अधिनियम 17), की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, तहसील फरीदाबाद से बडखल तथा धौज के क्षेत्र को निकालते हुए तहसील फरीदाबाद के क्षेत्र की सीमाओं को परिवर्तित करते हैं तथा उप-तहसीलों की संख्या को बदलते हैं, ताकि नीचे दी गई अनुसूची में दर्शाये गये गांवों को मिलाकर नई उप-तहसीलें बडखल तथा धौज बनाई जा सकें :-

अनुसूची

नई उप-तहसीलों बडखल तथा धौज का क्षेत्र

क्रम संख्या	गांव के नाम उप-तहसील बडखल	गांव के नाम उप-तहसील धौज
1	मेवला महाराजपुर	नूरपुर धुमसपुर
2	लकडपुर	सिलाखडी
3	सराय खवाजा	धौज
4	अनखीर	टीकरी खेड़ा
5	अनंगपुर	अलावलपुर
6	दौलताबाद	आलमपुर
7	तिलौरी बागर	खोरी जमालपुर
8	सारन	फतेहपुर तंगा
9	मन्यारु	सिरोही
10	नवादा कोह	नेकपुर
11	बडखल	मादलपुर
12	डबुआ	कुरेशीपुर
13	अजरोन्दा	मांगर
14	बाजडी	गोठडा मोहबताबाद
15	नंगला गुजरान	पावटा
16	पाली	कोट
17	पाखल	
18	भांकरी	
19	खेड़ी गुजरान	
20	गाजीपुर	

केशनी आनन्द अरोड़ा,
अपर मुख्य सचिव एवं वितायुक्त, हरियाणा सरकार,
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग।

*[Authorised English Translation]***HARYANA GOVERNMENT****REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT****Notification**

The 3rd October, 2016

No. S.O 35/P.A.17/1887/S.5/2016.— In exercise of the powers conferred by section 5 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Punjab Act 17 of 1887) read with section 5 of the Registration Act, 1908 (Central Act 16 of 1908), the Governor of Haryana hereby varies the limits of the areas of tahsil Faridabad and alters the number of sub-tahsils by excluding the area of new sub-tahsils Badkhal and Dhauj from Tahsil Faridabad so as to form new sub-tahsils of Badkhal and Dhauj comprising of villages shown in the Schedule given below:-

Schedule**Area of new sub-tahsils Badkhal and Dhauj.**

Sr. No.	Name of Village in Sub Tahsil Badkhal	Name of Village in Sub Tahsil Dhauj
1.	Mewla Maharajpur	Noorpur Dhumspur
2.	Lakarpur	Silakhari
3.	Sarai Khawaja	Dhauj
4.	Ankheer	Tikri Khera
5.	Anangpur	Alwalpur
6.	Daultabad	Alampur
7.	Tilauri Bagar	Khori Jamalpur
8.	Saran	Fatehpur Tanga
9.	Manyaru	Sirohi
10.	Nawada Koh	Nekpur
11.	Badkhal	Madalpur
12.	Dabua	Kureshipur
13.	Ajraunda	Mangar
14.	Bajari	Gothra Mohbatabad
15.	Nangla Gujran	Pawta
16.	Pali	Kot
17.	Pakhal	
18.	Bhankari	
19.	Kheri Gujran	
20.	Gajipur	

KESHNI ANAND ARORA,
Additional Chief Secretary and Financial Commissioner to Government Haryana,
Revenue and Disaster Management Department.

हरियाणा सरकार

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 अक्टूबर, 2016

संख्या का0आ036/प0अ017/1887/घा05/2016.— रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908(1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16), की धारा 5 के साथ पठित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 (1887 का पंजाब अधिनियम 17), की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, तहसील बल्लबगढ से दयालपुर तथा गौँच्छी के क्षेत्र को निकालते हुए तहसील बल्लबगढ के क्षेत्र की सीमाओं को परिवर्तित करते हैं तथा उप-तहसीलों की संख्या को बदलते हैं, ताकि नीचे दी गई अनुसूची में दर्शाये गये गांवों को मिलाकर दयालपुर तथा गौँच्छी को नई उप-तहसीलें बनाई जा सकें

अनुसूची

नई उप-तहसीलों दयालपुर तथा गौँच्छी का क्षेत्र

क्रम संख्या	गांव के नाम उप-तहसील दयालपुर	गांव के नाम उप-तहसील गौँच्छी
1	मौजपुर	सरूरपुर
2	अटाली	गौँच्छी
3	गढखेड़ा	मुजेसर
4	जुनहेड़ा	जकोपुर
5	अकबरपुर	बीजूपुर
6	शेखपुर	फिरोजपुर कलां
7	मौजमाबाद	लधियापुर
8	घुडासन	ओली
9	गढी बेगमपुर	भनकपुर
10	मंझावली	करनेरा
11	घरौडा	सिकरोना
12	दलेलगढ	कबूलपुर बांगर
13	कौराली	
14	लहडोला	
15	जाफरपुर मजरा घरौडा	
16	मंघावली	
17	बदरोला	
18	प्रहलादपुर मजरा बदरौला	
19	बहादुरपुर	
20	अलीपुर	
21	मैंसरावली	
22	रायपुरकलां	
23	बुखारपुर	

क्रम संख्या	गांव के नाम उप-तहसील	गांव के नाम उप-तहसील गौँच्छी
24	दयालपुर	
25	फपुन्डा	
26	मच्छगर	
27	अडवा	
28	इमामुदीनपुर	
29	फैजपुर खादर	
30	चान्दपुर	
31	नंगला मजरा चान्दपुर	
32	मोटुका	

केशनी आनन्द अरोड़ा,
अपर मुख्य सचिव एवं वितायुक्त, हरियाणा सरकार,
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग।